न्यायालय उप जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

मुकदमा नंबर 494/2018 प्रार्थना पत्र 136एल0आर0एक्ट तारीख रजू 17–12–2008

उनवान

1–सरताज पुत्र अलादीन जाति गददी मुसलमान निवासी दुब्बीखुर्द तहसील व जिला स0माधोपुर
2–सगीर पुत्र वसीर जाति गददी मुसलमान निवासी दुब्बीखुर्द तहसील व जिला स0माधोपुर
3–कदीर पुत्र वसीर जाति गददी मुसलमान निवासी दुब्बीखुर्द तहसील व जिला स0माधोपुर
4–अनीस पुत्र वसीर जाति गददी मुसलमान निवासी दुब्बीखुर्द तहसील व जिला स0माधोपुर
5–अजरूद्दीन पुत्र वसीर जाति गददी मुसलमान निवासी दुब्बीखुर्द तहसील व जिला स0माधोपुर
6–सलीमपुत्र वसीर जाति गददी मुसलमान निवासी दुब्बीखुर्द तहसील व जिला स0माधोपुर
7–फरीयाना पुत्री वसीर जाति गददी मुसलमान निवासी दुब्बीखुर्द तहसील व जिला स0माधोपुर
8–अरबीना पुत्री वसीर जाति गददी मुसलमान निवासी दुब्बीखुर्द तहसील व जिला स0माधोपुर
9–सबीना पुत्र वसीर जाति गददी मुसलमान निवासी दुब्बीखुर्द तहसील व जिला स0माधोपुर
10–असबीना पुत्र वसीर जाति गददी मुसलमान निवासी दुब्बीखुर्द तहसील व जिला स0माधोपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1– सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर
2–शब्बीर पुत्र रहमत जाति गददी मुसलमान निवासी दुब्बीखुर्द तहसील व जिला स0माधोपुर
3–बाबू पुत्र रहमत जाति गददी मुसलमान निवासी दुब्बीखुर्द तहसील व जिला स0माधोपुर
4–फारूक पुत्र रहमत जाति गददी मुसलमान निवासी दुब्बीखुर्द तहसील व जिला स0माधोपुर
5–सद्धीक पुत्र रहमत जाति गददी मुसलमान निवासी दुब्बीखुर्द तहसील व जिला स0माधोपुर
6–हारून पुत्र रहमत जाति गददी मुसलमान निवासी दुब्बीखुर्द तहसील व जिला स0माधोपुर
7–मतलून पुत्र गनी जाति गददी मुसलमान निवासी दुब्बीखुर्द तहसील व जिला स0माधोपुर
8–भूली बेवा रहमत जाति गददी मुसलमान निवासी दुब्बीखुर्द तहसील व जिला स0माधोपुर

– अप्रार्थीगण

वकील प्रार्थीगण
श्री जे0पी0शर्मा –एडवोकेट
श्री आर0एल0 जाट –एडवोकेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भूराजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 12– 06 –2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत इस न्यायालय प्रस्तुत किया गया । प्रार्थना पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वाके ग्राम दुब्बीखुर्द में स्थित साबिक आराजी का प्रार्थी एवं विपक्षीगणो ने दिनांक 5––06–02 को मुताबिक कब्जा विनियम किया था । प्रार्थीगणो को विनिमय के द्वारा प्राप्त कृषि भूमि साबिक खसरा नंबर 72 रकबा 3बीघा 10 विस्वा जरिये नामान्तकरण संख्या 28 के द्वारा प्रार्थीगण के नाम से साबिक जमाबंदी में दर्ज हो गई थी । लेकिन भूप्रबन्ध विभाग ने बिना मौका देखे बिना ही प्रार्थीगण के कब्जे की भूमि को विपक्षीगणो के नाम से हाल खतोनी में दर्ज कर दी । यह है कि प्रार्थीगणो को भूप्रबन्ध विभाग द्वारा की गई गलती की जानकारी होते ही प्रार्थीगणो ने राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा में दिनांक 14–5–18 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । उक्त प्रार्थना पत्र के साथ विपक्षीगणो ने दुरूस्ती इन्द्राज हेतु

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

सहमति पत्र भी स्टाम्प पर लिखकर दिया था । यह कि ग्राम दुब्बीखुर्द तहसील सवाई माधोपुर में स्थित साबिक खसरा नंबर 72 रकबा 3 बीघा 10 विस्वा के हाल नवीन खसरा नंबर 88 रकबा 0.89है0 की मौके की राजस्व रिकार्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे । साथ ही विपक्षीगणो के नाम दर्ज खसरा नंबर 88 रकबा 0.89है0 का इन्द्राज अप्रार्थीगणो के बजाय प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल की कार्यवाही हेतु तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेशित फरमावे ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगणो को सम्मन नोटिस जारी किये गये । साथ ही तहसीलदार सवाई माधोपुर से मौका रिपोर्ट तलब किये जाने पर तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा उनके पत्रांकः एलआर/1132 दिनांक 18–2–19 प्रेषित कर अंकित किया है कि ग्राम दुब्बीखुर्द के नामान्तकरण संख्या 27 दिनांक7–6–2002 से साबिक खसरा नंबर 72 रकबा एक बीघा आठ विस्वा रहमत पुत्र सुल्तान शब्बीर ,बाबू, फारूक, सद्दीक ,हारून पिता रहमत मतलूब पिता गनी के बजाय अलादीन पुत्र समीर गद्धी के नाम स्वीकार हुआ । नामान्तकरण संख्या 28 दिनांक 7–6–2002 वाके ग्राम दुब्बीखुर्द में साबिक खसरा नंबर 72 रकबा 2बीघा 2 विस्वा भूमि रहमत पुत्र सुल्तान , शब्बीर ,बाबू, फारूक, सद्दीक ,हारून, पिता रहमत मतलूब पि0 गनी जाति गद्धी के बजाय सरताज बशीर पि. अलादीन गद्धी निवासी दुब्बीखुर्द के नाम हुआ जिसका अमल जमाबंदी सम्वत 2044–47 के खाता संख्या 53 में हुआ । मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नंबर 72 रकबा 3बीघा 10 विस्वा के नवीन खसरा नंबर 88 रकबा 0.89है0 बने है । विनिमय भूप्रबन्ध से पूर्व का था लेकिन भूप्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल नही किया गया है । जिसके नवीन रिकार्ड में अमल नही हो सका ।अप्रार्थीगणो ने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 10–01–19को राजीनामा प्रस्तुत किया एवं हाल खसरा नंबर 88 रकबा 0.89है0 पर प्रार्थीगणो का भोतिक कब्जा होना स्वीकार किया एवं उक्त भूमि तहसीलदार सवाई माधोपुर के आदेश से विनिमय के द्वारा तब्दील होना स्वीकार किया लेकिन भूप्रबन्ध विभाग ने गलती से हम विपक्षीगण के से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी गई है । इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने में हम विपक्षीगणो को किसी प्रकार की आपत्ति नही है ।

तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्षो की सुनी गई । पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया । एवं तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 18–2–19 के आधार पर भी हाल खसरा नंबर 88 रकबा 0.89 है0 पर प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त होना अंकित किया है एवं राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज के अलावा अन्य कोई

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

विवाद होना नही दर्शाया है । ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगणो द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136एलआर एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम दुब्बीखुद में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 88 रकबा 0.89है0 राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज है । उक्त भूमि का इन्द्राज विनिमय के आधार पर दर्ज किये गये नामान्तकरण संख्या 27 व 28 दिनांक 7–6–02 के आधार पर उक्त भूमि का इन्द्राज प्रार्थीगणो के नाम से हाल जमाबंदी में दर्ज किया जाकर खसरा नंबर 88 की हद तक अप्रार्थीगण के नाम का इन्द्राज अपास्त किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 12–06–2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर ,नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो ।

(रघुनाथ)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Raghunath
Date: 2019.11.14 15:15:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: